प्रेस नोट जनपद बदायूं दिनांक 11-12-2024

पुलिस महानिदेशक महोदय,उ0प्र0 के आदेश से संचालित "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी से दहेज के लिए प्रताड़ित करने वाले अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा 08 वर्ष के सश्रम कारवास की सजा तथा 20000/-रु के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

थाना वजीरगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 462/2016 धारा 498ए/304बी,302/34भादवि व 4 दहेज प्रथा अधिनियम बनाम 1- बबलू पुत्र राजेन्द्र 2- राजेन्द्र पुत्र गंगाराम(मृतक) 3- मेन्ता उर्फ ममता पत्नी राजेन्द्र निवासीगण ग्राम पिपरिया थाना वजीरगंज जनपद बदायूँ की विवेचना क्षेत्राधिकारी श्री प्रकाश कुमार द्वारा की गई। विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय ADJ(FTC-1)(CAW) बदायूँ में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन" के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार हे0का0 भूपेन्द्र गंगवार थाना वजीरगंज द्वारा मा0 न्यायालय ADJ(FTC-1)(CAW) बदायूँ में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी। जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 11-12-2024 को मा0 न्यायालय ADJ(FTC-1)(CAW) बदायूँ द्वारा अभियुक्त बबलू उपरोक्त को धारा 498ए भादवि के अन्तर्गत 02 वर्ष के कारावास की सजा तथा 5000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त उपरोक्त को 15 दिन के अतिरिक्त कारावास से भुगतना होगा तथा धारा 304बी भादवि के अन्तर्गत 08 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा तथा 20000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त उपरोक्त को 09 माह का अतिरिक्त कारावास से भुगतना होगा। धारा 4 डीपी एक्ट के अन्तर्गत 06 माह के कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया तथा 5000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त उपरोक्त को15 दिवस के अतिरिक्त कारावास से भुगतना होगा। तथा धारा विकल्पत 302/34 भादवि के अन्तर्गत दोषमुक्त किया गया । अभियुक्ता मेन्ता उपरोक्त को धारा 498ए/304बी व विकल्पत धारा 302/34 भादवि व 4 डीपी एक्ट के अपराधों से दोषमुक्त किया गया । तथा अभियुक्त बबलू उपरोक्त की उक्त मामलों में जेल में बितायी गई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी तथा सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी । पैरवी करने वाले पैरोकार हे0का0 भूपेन्द्र गंगवार थाना वजीरगंज तथा लोक अभियोजक एडजीसी श्री मुनेन्द्र प्रताप सिंह, विवेचक क्षेत्राधिकारी श्री प्रकाश सिंह का योगदान सराहनीय रहा ।

सोशल मीडिया सेल

जनपद बदायूं।